न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 05/2023

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

— प्रार्थी

बनाम

1.अभिषेक जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी 157/3 बाजार की ओर, दिगम्बर जैन मन्दिर के पास, मांगलियावास, अजमेर

— अप्रार्थी

उपस्थितः—

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री प्रशान्त शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रकिया सहिता

—:आदेश:—

दिनांक 06.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रकिया प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रार्थी का वाहन जिसका वाहन कार मारूति सुजुकी वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 पुलिस थाना मांगलियावास, अजमेर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहा का पंजीकृत स्वामी है पुलिस थाना उक्त वाहन से सबंधित समस्त अनुसंशान पूर्ण कर लिया है वास्ते अनुसंधान पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। उक्त वाहन पुलिस थाने में खुली अवस्था में पडा है जिसके उसके खराब होने की अदेशा है तथा वह उपयोग में लेने लायक नही रहेगा। जिससे प्रार्थी को आर्थिक परेशानी उठानी पडेगी। प्रार्थी उक्त वाहन उसके रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काम आती है और इसके अलावा प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः वाहन कार संख्या RJ-01-CE-9127 को सुपुर्दगीनामें पर छोडने के आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी जरिये अभि. श्री प्रशान्त शर्मा उपस्थित। इसी दौरान श्री प्रशान्त शर्मा ने जरिये अभि. प्रा. पत्र मय वकालतनामा. पेश किया। जो शामिल मिसल है अप्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन कार संख्या RJ-01-CE-9127 को सुपुर्दगीनामे पर छोडने का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सुनवाई दौरान अप्रार्थी उनके अभि. उपस्थित आये। प्रकरण में थानाधिकारी थाना मांगलियावास अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि दिनांक 12.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं डी.एस.टी पुलिस दल अजमेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच 08 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी.जी. टैकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जाचं कार्यवाही की गई। श्री नरेन्द्र जैन ने यह स्थान किराये पर लेना एवं एल.पी.जी टैकर से गैस निकालकर सिलेण्डरो में रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो को विकय करने का व्यवसाय करना पाया । इस कार्य में नरेन्द्र के साथ उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है । मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृगार चंवरी अजमेर एक टैम्पों रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया । मौके से वाहन संख्या आरजे.01 सीई 9127 एस क्रोस कार श्री नरेन्द्र जैन से जब्त कर पुलिस थाना मांगलियावास को सुरक्षित कस्टडी में रखवायी गयी। इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के घनी आबादी क्षेत्र में गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर मौके से वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी पुलिस थाना मागलियावास को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गए । अतः इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1) (a) (b) (c) (d) (2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। जवाब में अप्रार्थी के अभि. ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

थानाधिकारी थाना मांगलियावास ने अपने रिपोर्ट दिनांक 04.04.2023 में वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 एस क्रोस कार की प्रकरण हाजा में आवश्यकता नही होने अंकित किया गया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 12.12.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी,

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं डी.एस.टी पुलिस दल अजमेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच 08 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी. जी. टैकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जाचं कार्यवाही की गई। श्री नरेन्द्र जैन ने यह स्थान किराये पर लेना एवं एल.पी.जी टैकर से गैस निकालकर सिलेण्डरो में रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो को विक्रय करने का व्यवसाय करना पाया । इस कार्य में नरेन्द्र के साथ उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है । मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृगार चंवरी अजमेर एक टैम्पों रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया । मौके से वाहन संख्या आरजे.01 सीई 9127 एस क्रोस कार श्री नरेन्द्र जैन से जब्त कर पुलिस थाना मांगलियावास को सुरक्षित कस्टडी में रखवायी गयी। इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के घनी आबादी क्षेत्र में गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर मौके से वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी पुलिस थाना मागलियावास को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गए । अप्रार्थी ने वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। उपरोक्त स्थिति के तहत अप्रार्थी स. 1 द्वारा एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड सं. 3(1) (C) 4(1) (a) (e) तथा 6 का उलंघन स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अभि. 1935 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन संख्या RJ-01-CE-9127 के अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 5,000/—अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वाहन स्वामी/मालिक द्वारा जुर्माना राशि (शास्ति) अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.04.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर